तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
27/07/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.09.18 को पेश हो।	
25/09/18	पत्रावली पेश हुई। वकील गार्वी उप०। अप्रार्थी सं० 1 ता 4 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र टी० आई० के अभिलेख पर लिया जाता है। वास्ते बहस टी० आई० पत्रावली दिनांक 12-10-2018 को पेश हो।	
12/10/18	वकुलाय उप०। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 16-10-2018 को पेश हो।	
16/10/18	वकुलाय उप०। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली 19/10/18 को पेश हो।	
19/10/18	वकुलाय उप०। प्रकरण में बहस टी० आई० वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 23-10-2018 को पेश हो।	
23/10/18	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वकील प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजियात 286, 287 की पश्चिमी मींड के सहारे-सहारे निकलित प्रचलित रास्ता में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही करने बाबत अप्रार्थीगण को टी० आई० से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी सं० 1 ता 4 ने बरवक्त बहस निवेदन किया कि वकील प्रार्थी जिस प्रचलित रास्ते का जिक्र कर रहे है वह रास्ता वर्तमान में चालू है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी नं० 1 ता 4 के आवागमन में उपयोग हो रहा है। मात्र अप्रार्थी नं० 4 द्वारा किये जा रहे आवासीय निर्माण कार्य को रोकने की गरज से प्रार्थिया ने अन्तरिम टी० आई० प्राप्त की है जो खारिज होने योग्य है। अत: प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र टी० आई० खारिज फरमाया जावे। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरान्त यह निष्कर्ष सामने आता है कि प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु ख० नं० 286, 287 की पश्चिमी मींड के सहारे प्रचलित रास्ते का केवल है जिसके संबंध में वकील अप्रार्थीगण भी उक्त रास्ते को वर्तमान में प्रचलित बता कर आ रहे है। अत: तन ग्राम [illegible] सिंह तहसील फलेरा अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 286, 287 का निर्माण कार्य किये जाने की हद तक स्थगनादेश दिनांकित 13-03-18 से मुक्त किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उभय पक्षगण को तादौराने उमूर वाद पाबन्द किया जाता है कि आप विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कृषि भूमि खसरा नं 286, 287 की पश्चिमी मींढ़ के सहारे-सहारे प्रचलित रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 1/10/18 भागीरथ शाख उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner